

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

02.04.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 5144 का उत्तर

महाराष्ट्र के सुदूर/जनजातीय क्षेत्रों में रेल विस्तार संबंधी परियोजनाएँ

5144. श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:

डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) महाराष्ट्र के सुदूर एवं जनजातीय बहुल क्षेत्रों में रेल लाइन विस्तार परियोजनाओं में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार का विचार उक्त क्षेत्रों के लिए रियायती रेल सेवाएं शुरू करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) महाराष्ट्र में ग्रामीण एवं जनजातीय लोगों की रेल सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन राज्य-वार/जिले-वार नहीं बल्कि क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है, क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्यों की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाओं को लाभप्रदता, यातायात अनुमानों, अंतिम छोर संपर्कता, मिसिंग लिंक और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों के संवर्धन, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक महत्वों आदि के आधार पर स्वीकृत किया जाता है जो चालू परियोजनाओं के थ्रो-फॉरवर्ड और निधियों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

दिनांक 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 81,580 करोड़ रुपए की लागत और 5,877 कि.मी. कुल लंबाई की 41 रेल परियोजनाएं (16 नई लाइन, 02 आमान परिवर्तन और 23 दोहरीकरण) जिनमें दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों में परियोजनाओं का विस्तार भी शामिल है, योजना निर्माण और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 1,926 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 31,236 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

कार्य की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:-

कोटि	परियोजनाओं की सं.	कुल लंबाई (कि.मी. में)	कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में)	मार्च 2024 तक व्यय (करोड़ रु. में)
नई लाइन	16	2,017	166	8,529
आमान परिवर्तन	2	609	312	3,332
दोहरीकरण / मल्टीट्रैकिंग	23	3,251	1,448	19,376
कुल	41	5,877	1,926	31,236

महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/अंशतः आने वाली निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाओं को हाल ही में स्वीकृति दी गई है:-

क्रम.सं.	परियोजना का नाम	लागत (करोड़ रुपए में)
1.	मनमाड़-इंदौर नई लाइन (309 कि.मी.)	16,321
2.	जालना-जलगांव नई लाइन (174 कि.मी.)	5,804
3.	औरंगाबाद - अंकाई दोहरीकरण (98 कि.मी.)	961
4.	परभणी-परली-वैजनाथ दोहरीकरण (65 कि.मी.)	770
5.	जलगांव-मनमाड चौथी लाइन (160 कि.मी.)	2,574
6.	भुसावल-खंडवा तीसरी और चौथी लाइन (131 कि.मी.)	3,285

महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं और अन्य कार्यों हेतु औसत बजट आबंटन निम्नानुसार है:-

अवधि	परिव्यय
2009-14	1,171 करोड़ रुपए प्रति वर्ष
2025-26	23,778 करोड़ रुपए (20 गुना से अधिक)

2009-14 और 2014-2024 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले रेलखंडों (नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण) की कमीशनिंग का विवरण निम्नानुसार है:-

अवधि	कमीशन किए गए नए रेलपथ	नए रेलपथ की औसत कमीशनिंग
2009-14	292 किलोमीटर	58.4 किलोमीटर प्रतिवर्ष
2014-24	1830 किलोमीटर	183 किलोमीटर प्रतिवर्ष (3 गुना अधिक)

इसके अलावा, महाराष्ट्र में प्रमुख हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना पर निर्माण कार्य तीव्र गति पर है। अब 100% भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है। पुल, जलसेतु आदि का काम शुरू हो चुका है। समुद्र के नीचे लगभग 21 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने के लिए 3 टीबीएम के आदेश भी दिए गए हैं। इस बीच, टीबीएम के काम करने के लिए आवश्यक सभी प्रारंभिक कार्य जैसे शाफ्ट का निर्माण आदि भी शुरू कर दिए गए हैं।

पश्चिमी डीएफसी भी महाराष्ट्र से होकर गुजरता है। पश्चिमी डीएफसी का लगभग 178 किलोमीटर मार्ग महाराष्ट्र में स्थित है, जो पश्चिमी डीएफसी की कुल मार्ग लंबाई का लगभग 12% है। महाराष्ट्र में न्यू घोलवड से न्यू वैतरणा तक इस परियोजना का 76 किलोमीटर हिस्सा पहले ही चालू हो चुका है। शेष कार्य शुरू हो चुके हैं। डब्ल्यूडीएफसी को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरण से जोड़ने से बंदरगाह से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक कार्गो और कंटेनर यातायात को संभालने की क्षमता बढ़ेगी।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (2021-22, 2022-23, 2023-24 और वर्तमान वित्तीय वर्ष यानी 2024-25) के दौरान, 95 सर्वेक्षण (28 नई लाइन, 02 आमान परिवर्तन और 65 दोहरीकरण/मल्टी ट्रेकिंग) को कुल 8,366 कि.मी. लंबाई के लिए महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/अंशतः रूप से स्वीकृत किया गया है।

किसी भी रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन संबंधी स्वीकृति, लागत में भागीदारी वाली परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा लागत का हिस्सा जमा करना, परियोजनाओं की प्राथमिकता, बाधक जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थितियां, परियोजना/ओं स्थल (स्थलों) के क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति, जलवायु अवस्थाओं के कारण परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

रेल परियोजनाओं के त्वरित अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं जिनमें (i) गति शक्ति इकाइयां स्थापित करना (ii) परियोजनाओं की

प्राथमिकता निर्धारित करना (iii) प्राथमिकता वाली परियोजनाओं पर निधियों के आबंटन में पर्याप्त वृद्धि करना (iv) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन (v) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी और (vi) शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव संबंधी मंजूरीयों और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकरणों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल हैं। इनके परिणामस्वरूप, 2014 से कमीशनिंग की दर में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

भारतीय रेल समाज के सभी वर्गों को किफायती सेवाएँ प्रदान करने का प्रयास करती है और वर्ष 2022-23 में यात्री टिकटों पर 56,993 करोड़ रुपये की रियायत दी। यह रेलवे में यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को औसतन 46% की रियायत है। दूसरे शब्दों में, यदि सेवा प्रदान करने की लागत ₹100 है, तो टिकट की कीमत केवल 54 रुपये है। यह रियायत बिना किसी राज्य/क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए सभी यात्रियों के लिए जारी है।
